



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

संयुक्त राष्ट्र
THE EARTH - OUR FUTURE - OUR PAST

पत्रांक- २१६५ / १२-१ देहरादून:
सेवा में,

दिनांक: २८ फरवरी, 2025

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग-३

विषय:- जनपद-बोगेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/19168/2016)

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 1784 / FP/UK/ROAD/19168/2016 दिनांक 28-01-2023।
(छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 12-08-2016 से सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन जारी की गई थी, जिसकी अनुपालन आँख्या इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई थी, किन्तु प्रस्ताव की अनुपालन आँख्या कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी कारणों से ऑनलाईन अपलोड नहीं की जा सकी वर्तमान में प्रस्ताव की अनुपालन आँख्या ऑनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या २१६५ / १२-१ तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 313 / 2ई०

दिनांक 19 / 02 / 2025

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:— सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में ऑनलाइन अनुपालन आख्या अपलोड एवं राज्य सरकार को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० **FP/UK/ROAD/19168/2016** की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 804 / X-4-16/1(230)/2016 प्राप्त हुयी थी। जिसकी विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आफलाइन आपके कार्यालय पत्रांक सं० **1784 / FP/UK/ROAD/19168/2016** दिनांक 28.12.2023 द्वारा सचिव वन अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गयी थी (छायाप्रति संलग्न), परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर राज्य सरकार को प्रेषित नहीं हो पायी है।

अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर राज्य सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

(इं० अमित कुमार पटेल)

अधिशासी अभियन्ता

नि०ख०लो०नि०वि०, कपकोट

पत्रांक / दिनांक / 02 / 2025

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०, कपकोट



कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



वन विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांक—

/FP/UK/ROAD/19168/2016 देहरादून: दिनांक: 28

जनवरी 2023

सेवा में,

सचिव,

वन अनुभाग-3,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 हे० वज्र भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 883/X-4-16/1(275)/2016 दिनांक 12-08-2016

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815/12-1-2 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 हे० सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रु० 17,09,991.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1) उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है। अमलदरामद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 18,99,215.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०एस०- 566 1A नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०एस०-566 1A नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि रु० 22,17,375.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुयी एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1 के अनुसार)

5	भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एम०डी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशों के अनुसार एम०डी० तथा दूसरी सभी विधियाँ प्रतिष्ठित घोषित/प्राप्त किए गये तथा सीमाना माहिकरण (CAMPA) के तहत निकाल के लिये संख्या 50-एम०डी०-25229 कायदेन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 गौरी दिवली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही प्राप्त की जायगी, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की माहिकराति सहित प्रभाव के समर्थ में अनुमान की जायगी (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्देनार विवरण अर्थात् एम०डी०, एलिगिबल ग्रेगोरियन प्रस्तावित धनराशि का विवरण, दिया गया है) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6	प्रभावित अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के निम्न वर्गकृत कर्मचारियों एवं गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों का कड़ाई से अनुमान किया जायेगा।
7	प्रभावित एम०डी० के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अधिलेख/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8	प्रभावित एम०डी० द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी विधिवत शर्त का अनुमान नहीं होने अथवा अस्वीकरणक अनुमान होने की स्थिति में राज्य सरकार, प्रभावित, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुमान पश्चात् प्रकरण में विहित स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011-एम०डी०(Vol-1), दिनांक 06-01-2022 के आदेशानुसार बड़ी ह्यूरी एम०डी० की धनराशि जमा की जानी अपेक्षित है। प्रकरण पर विहित स्वीकृति अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त ही जारी किया जाना उचित होगा। अतः प्रमाणित वनाधिकारी द्वारा विहित अनुमान आख्या के क्रम में प्रस्तावित प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्थानिक कार्यवाही करने वाले पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रतिलिपि।

20/01/2022

संख्या-1784/FP/UK/ROAD/19168/2016 दिनांकित।

(एम०डी० संख्या-10)
वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. प्रतिनिधि :- प्रमाणित वनाधिकारी, बांधवपुर वन प्रभाग, बांधवपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आदेश से विगत कि विधायक प्रकरण पर भारत सरकार के आदेश दिनांक 06-01-2022 के अनुसार बड़ी ह्यूरी एम०डी० की धनराशि जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर विहित स्वीकृति जारी की जा सके।

2. प्रतिनिधि :- अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, गौरी दिवली, कपकोट, बांधवपुर को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त।

(एम०डी० संख्या-10)
वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 16-01-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWDKAPKOT
PIF/Application No.	6119168746
MoEF/SG File No.	1(275)/2016
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	cdpwdkapkot@gmail.com 9639377012 5963-253385
Amount(In Rs)	1175209/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words: Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Nine Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMP-AMOEY Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 16-01-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWDKAPKOT
PIF/Application No.	6119168746
MoEF/SG File No.	1(275)/2016
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	cdpwdkapkot@gmail.com 9639377012 5963-253385
Amount(In Rs)	1175209/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words : Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Nine Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

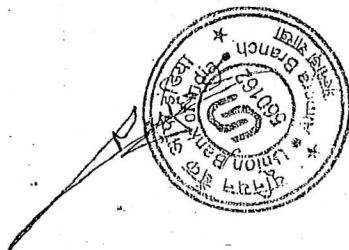
- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankof

UTR NO 60160 20240202411386

Date: 02.02.2024



Head of Account

Issued for RS = 11,75,209/-

Naveen Printer's Bgr

Form No. 28- HAND RECEIPT

(See Chap. XIV, Para 440, 446 and 460)

Cash-Book Voucher No. 47

Date 17/1/24

Paid by Cheque/Cash/Rupees (11,75,209/-) to Sri. उमरावराव केसा

Paid by me *

RECEIVED for the 310 310 in charge of निरक्षी लो० निर्माण विभाग

Sub-Division 310 310 A.E. 310 310 Division the sum of Rs.

उमरावराव केसा पिता उमरावराव केसा नामा के विभाग सभा क्षेत्र काकोट में
मार्ग निर्माण के लिये नामा के विभाग सभा क्षेत्र काकोट में
जोयन्त के लिये नामा के विभाग सभा क्षेत्र काकोट में
वर्गीकृत नं० 1301
मार्ग निर्माण के लिये नामा के विभाग सभा क्षेत्र काकोट में
पृष्ठ नं० 167-168
Date 17/1/24

PAID VIDE CHEQUE
I.D. NO. 242009
DATED 17/1/24

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
काकोट (बागेश्वर)

Signature of Papes
Ex Eng